न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 129 / 2021

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. ईश्वरराम पुत्र मंगलाराम
2. दीपाराम पुत्र मंगलाराम
3. पीराराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी लुणाकला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. गंगादेवी पत्नि चौखाराम
2. गवरीदेवी पत्नि चौखाराम
3. चौखाराम पुत्र जुगताराम
4. गोरधनराम पुत्र रघुनाथराम
5. जेठाराम पुत्र रघुनाथराम जाति जाट निवासी लुणाकला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल सारण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत विप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 1 से 2 व 4 से 5 एकतरफा
4. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 6 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.02.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत मौजा लुणा कला पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 230 / 1 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0890 हैक्टेयर अवस्थित है, जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जो भूमि प्रार्थीगण के पिता मंगलाराम पुत्र [illegible] ने मूल खसरा नम्बर 230 रकबा कुल 95.06 बीघा में से पूर्व खातेदार पुरखाराम पुत्र लुम्भाराम [illegible] 40 [illegible] भूमि खरीद की गई थी तथा बाद बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थीगण के पिता को मौके पर 40 बीघा [illegible] विक्रय पत्र में अंकित पडौसान के अनुसार काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, पशु बाडे बने हुऐ है। कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 230 / 1 रकबा 40 बीघा का आया हुआ, जिसकी अलग से तरमीम की हुई है। परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त तथा जमाबंदी में अंकित रकबा में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है तथा प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के रकबा 40 बीघा अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम नक्शे में नहीं की गयी तथा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा से कम रकबे की तरमीम की गई है। प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम करनी थी परन्तु अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से कम रकबा की गलत तरमीम कर दी है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि खसरा नम्बर 230/6, 230/5, 230/2, 230/3, 230/7 के वास्तविक रकबे के स्थान पर नक्शा में अधिक रकबे की तरमीम कर दी गई है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार के प्रति समर्पित खसरा नम्बर 230/4 की तरमीम भी वास्तविक स्थल पर न कर अन्यत्र विपरित सेढे पर कर दी गई है। जिसे प्रार्थीगण दुरस्त के विधिक अधिकारी है। कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त व जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा में भारी भिन्नता है, इसलिये प्रार्थीगण वादग्रस्त खेत के कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते है, इसलिये प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सलंग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है। अतः तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत मौजा लुणा कला पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में खेत खसरा नम्बर 230/1 रकबा 6.4316 हेक्टयर व खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0890 हेक्टयर की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम दुरस्त (शुद्धिकरण) करवाने तथा प्रार्थीगण द्वारा समर्पित भूमि खसरा नम्बर 230/4 की तरमीम भी वास्तविक स्थल जालोर जिले की सीमा पर करने का आदेश फरमावें ।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 06 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। विप्रार्थी सं. 3 के वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 2 व 4 से 5 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत मौजा लुणा कला पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 230/1 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0890 हैक्टेयर अवस्थित है, जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जो भूमि प्रार्थी के पिता मंगलाराम पुत्र दलाराम ने मूल खसरा नम्बर 230 रकबा कुल 95.06 बीघा में से पूर्व खातेदार पुरखाराम पुत्र लुम्भाराम से 40 बीघ भूमि खरीद की गई थी तथा बाद बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थी के पिता को मौके पर 40 बीघा भूमि पर विक्रय पत्र में अंकित पडौसान के अनुसार काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, पशु बाडे बने हुए है। कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 230/1 रकबा 40 बीघा का आया हुआ, जिसकी अलग से तरमीम की हुई है। परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त तथा जमाबंदी में अंकित रकबा में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है तथा प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के रकबा 40 बीघा अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम नक्शे में नहीं की गयी तथा लट्ठा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.04 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी में अंकित रकबा से कम रकबे की तरमीम की गई है। प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम करनी थी परन्तु अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से कम रकबा की गलत तरमीम कर दी है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि खसरा नम्बर 230/6, 230/5, 230/2, 230/3, 230/7 के वास्तविक रकबे के स्थान पर नक्शा में अधिक रकबे की तरमीम कर दी गई है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार के प्रति समर्पित खसरा नम्बर 230/4 की तरमीम भी वास्तविक स्थल पर न कर अन्यत्र विपरित सेढे पर कर दी गई है। जिसे प्रार्थीगण दुरस्त के विधिक अधिकारी है। कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त व जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा में भारी भिन्नता है, इसलिये प्रार्थीगण वादग्रस्त खेत के कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते है, अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी सं. 6की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया मौजा लुणा कला पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 230/1 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0890 हैक्टेयर अवस्थित है, जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जो भूमि प्रार्थीगण के पिता मंगलाराम पुत्र दलाराम ने मूल खसरा नम्बर 230 रकबा कुल 95.06 बीघा में से पूर्व खातेदार पुरखाराम पुत्र लुम्भाराम से 40 बीघ भूमि खरीद की गई थी तथा बाद बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थीगण के पिता को मौके पर 40 बीघा भूमि पर विक्रय पत्र में अंकित पडौसान के अनुसार काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, पशु बाडे बने हुऐ है। कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 230/1 रकबा 40 बीघा का अलग रकबा जिसकी अलग से तरमीम की हुई है। परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर [illegible] कब्जा काश्त तथा जमाबंदी में अंकित रकबा में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है तथा प्रार्थीगण के मौके कब्जा काश्त के रकबा 40 बीघा अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम नक्शे में नहीं की गई तथा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी में अंकित रकबा से कम रकबे की तरमीम की गई है। प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम करनी थी परन्तु अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से कम रकबा की गलत तरमीम कर दी है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि खसरा नम्बर 230/6, 230/5, 230/2, 230/3, 230/7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.04 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

वास्तविक रकबे के स्थान पर नक्शा में अधिक रकबे की तरमीम कर दी गई है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार के प्रति समर्पित खसरा नम्बर 230/4 की तरमीम भी वास्तविक स्थल पर न कर अन्यत्र विपरित सेढे पर कर दी गई है।इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहे और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लूंणाकला पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत मूल खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 95.06 बीघा, से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरा नम्बरान् के भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पात्रंक 1203 दिनांक 23.08.2023 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 इको लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested